बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 353196 पटना, दिनांक:- 09/02/17

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(नि0आ0पूर्ण)-103-102/2016

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-344587 दिनांक-22.12.17 एवं पत्रांक-349331 दिनांक-18.01.18

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को हर-हाल में चालू वित्तीय वर्ष (31.03.2018 तक) तक पूर्ण करा लिये जाने के संबंध में निदेशित किया गया है । विदित है कि इंदिरा आवास योजना का स्वतंत्र रूप से कार्यान्वयन जनवरी 1996 से प्रारंभ किया गया था और विभिन्न वर्षों में इकाई दर लागत में परिवर्तन के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 तक इस योजना का कार्यान्वयन कराया गया । समय-समय पर जिलों से प्राप्त सूचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि वैसे लाभुकों जिन्हें प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया गया था उन्हें द्वितीय/अग्रेत्तर किस्त की राशि का भुगतान नहीं होने के कारण उनका आवास वर्तमान में निर्माणाधीन की स्थिति में है । इससे उन लाभुकों के आवास की समस्या का समाधान नहीं हो सका है, वहीं इसपर व्यय की गई राशि के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है । आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिलों द्वारा निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने हेतु रूचि नहीं ली जा रही है । साथ ही विभागीय पत्रांक-344857 दिनांक-22.12.17 से मांगा गया प्रतिवेदन सिर्फ सारण जिला से ही प्राप्त है ।

अत: अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से दिये गये निदेश के आलोक में निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण कराने हेतु निम्न कार्य योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा :-

(1) वित्तीय वर्ष 1995-96 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि में स्वीकृत आवासों में से सभी निर्माणाधीन आवासों की पंचायतवार विवरणी ग्रामीण आवास सहायक द्वारा तैयार किया जायेगा । इसका प्रतिदिन ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा ।

(2) निर्माणाधीन आवासों के लाभुक जिनके द्वारा आवास का निर्धारित स्तर तक आवास का निर्माण किया गया है उन्हें अविलम्ब सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा ।

(3) जिनके द्वारा सहायता राशि प्राप्त करने के पश्चात आवास का निर्माण नहीं किया गया है उन्हें आवास निर्माण हेतु प्रेरित किया जायेगा तथा शिथिलता बरतने पर उन्हें नोटिस निर्गत किया जायेगा ।

(4) पंचायतवार सभी निर्माणाधीन इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित करके पर्यवेक्षण का कार्य ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को सौंपा जायेगा । ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक आवासों की प्रगति का निरंतर पर्यवेक्षण करेंगे एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को साप्ताहिक रूप से प्रतिवेदन सौंपेगें ।

(5) द्वितीय किस्त की सहायता राशि के भुगतान हेतु प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण एवं FTO सहित निष्पादन का कार्य एक सप्ताह के अंदर पूरा किया जाएगा तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा लेखा सहायक द्वारा संधारित पंजी से FTO का अनुश्रवण एवं समीक्षा की जायेगी ।

(6) जिन लाभुकों द्वारा आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित स्तर तक आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है उन्हें द्वितीय/अग्रेतर किस्त के भुगतान हेतु प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर RTGS काउंटर के बगल में विशेष काउंटर में आवेदन प्राप्त कर प्राप्ति रसीद लाभुकों को दिया जायेगा । प्रखण्ड कार्यालय स्तर पर विशेष काउंटर की व्यवस्था उप विकास आयुक्त के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

(7) पंचायतवार निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जायेगा ।

(8) जिलावार सभी निर्माणाधीन आवासों को दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण नहीं होने की स्थिति में असफल रहने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदित किया जायेगा ।

(9) इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जिन लाभुकों का सहायता राशि का भुगतान लंबित है उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया जायेगा कि वे शीघ्र अपनी सहायता राशि प्राप्त कर आवास का निर्माण कार्य निर्धारित स्तर तक पूर्ण करें अन्यथा दिनांक 31.03.2018 के बाद किसी लंबित दायित्व का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

(10) उपर्युक्त निदेश का विभिन्न माध्यमों से जनता के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि कोई भी लाभुक द्वितीय/अग्रेतर किस्त का लाभ पाने से वंचित नहीं जाय ।

(11) निर्धारित तिथि के बाद यदि किसी जिला में निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कराने अथवा लाभुकों की सहायता राशि का भुगतान लंबित रहने का मामला प्रकाश में आयेगा तो उसकी पूरी जवाबदेही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त की होगी ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

8.2.18

(राहुल रंजन महिवाल)
सरकार के विशेष सचिव